कंपनी अधिनियम, 2013

कंपनी लिमिटेड शेयरों द्वारा

एसोसिएशन का ज्ञापन

ए एम सी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड

I कंपनी का नाम ए एम सी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड है।

II कंपनी का पंजीकृत कार्यालय मुंबई में कंपनी रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र में महाराष्ट्र राज्य में स्थित होगा।

III जिन वस्तुओं के लिए कंपनी की स्थापना की गई है वे हैं:

ए. कंपनी द्वारा इसके निगमन पर निम्नलिखित उद्देश्य हैं

१. **कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो और रिवर्स रेपो लेनदेन के समाशोधन और निपटान के व्यवसाय को सुविधाजनक बनाने, स्थापित करने और आगे बढ़ाने के लिए, जिसे सेबी द्वारा अनुमति दी जा सकती है या मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्स चेंजों पर कारोबार किया जा सकता है और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए और निपटान की गारंटी और ऐसी कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो और रिवर्स रेपो लेनदेन में लेनदेन को सुविधाजनक बनाने, बढ़ावा देने, सहायता करने, विनियमित करने और प्रबंधित करने के लिए, जैसा कि सेबी द्वारा अनुमति दी जा सकती है।

**वस्तु खंड III (ए) (1) को शेयरधारकों द्वारा शुक्रवार, 26 नवंबर, 2021 को आयोजित उनकी असाधारण आम बैठक में पारित विशेष संकल्प के द्वारा नए खंड से बदल दिया गया था।

२. स्टॉक एक्सचेंजों, मुद्रा बाजारों, वित्तीय बाजारों, प्रतिभूति बाजारों, पूंजी बाजारों, कस्टोडियल और डिपॉजिटरी सेवाओं के संबंध में सभी गतिविधियों को आरंभ करने, सुगम बनाने, बढ़ावा देने, सहायता करने, शुरू करने और प्रबंधित करने के लिए, लेकिन अधिक तरलता सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने तक सीमित नहीं है, इंट्रा और इंटर मार्केट डीलिंग की सुविधा और आम तौर पर कॉरपोरेट बॉन्ड में लेनदेन के समाशोधन और निपटान की सुविधा के लिए।

बी. मुख्य वस्तुओं की प्राप्ति के लिए आकस्मिक या सहायक वस्तुएं:

३. नियमों, उप-नियमों और विनियमों को बनाने और लागू करने के लिए, जो कि मोड और तरीके को विनियमित करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, जिन शर्तों के अधीन निगम का कारोबार किया जाएगा और निगम के समाशोधन सदस्यों के आचरण के नियम , समाशोधन सदस्यता, व्यापार, निपटान से संबंधित सभी पहलुओं सहित, निपटान की गारंटी, निपटान निधि, समितियों का गठन, प्राधिकरण का प्रतिनिधिमंडल और निगम से संबंधित सामान्य विविध मामले और समाशोधन सदस्यों के लिए आचार संहिता और व्यावसायिक नैतिकता भी शामिल है और समय-समय पर ऐसे नियमों, उप-नियमों और विनियमों या उनमें से किसी में संशोधन या परिवर्तन करने के लिए और कोई नया संशोधित या पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अतिरिक्त नियम, उपनियम या विनियम।

४. विवादों को निपटाने के लिए और निगम के व्यापार और व्यवसाय के संचालन में व्यापार, समाशोधन और निपटान, विधियों, प्रथाओं, प्रथाओं, रीति-रिवाजों या शिष्टाचार के सभी सवालों का फैसला करना।

५. सुरक्षा जमा को ठीक करने, चार्ज करने, पुनर्प्राप्त करने, प्राप्त करने के लिए। प्रवेश शुल्क, फंड सदस्यता, निगम या कंपनी के समाशोधन सदस्यों से

एसोसिएशन के लेखों और निगम के नियमों और विनियमों के अनुसार सदस्यता और जमा, मार्जिन, दंड, तदर्थ लेवी और अन्य शुल्क को ठीक करने, चार्ज करने और पुनर्प्राप्त करने के लिए .

६. मध्यस्थता द्वारा विवादों के समाधान की सुविधा के लिए या ऐसी शर्तों पर मध्यस्थों या अंपायरों को नामित करना और ऐसे मामलों में जो समीचीन लग सकते हैं; क्षेत्रीय या स्थानीय मध्यस्थता पैनल स्थापित करने के लिए और निगम के व्यवसाय से संबंधित या उससे संबंधित या उससे संबंधित या उत्पन्न होने वाले सभी लेनदेन के संबंध में सभी विवादों और दावों की मध्यस्थता प्रदान करने के लिए और निगम के समाशोधन सदस्यों और उन व्यक्तियों के बीच जो निगम के समाशोधन सदस्य नहीं हैं, लेकिन निगम के समाशोधन सदस्यों के घटक हैं; और ऐसे मध्यस्थों, क्षेत्रीय मध्यस्थता पैनल या स्थानीय पैनलों को पारिश्रमिक देने और ऐसी मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में नियम, उप-कानून और विनियम बनाने, संशोधित करने और बदलने के लिए, मध्यस्थों की फीस, और संबंधित मामलों और उनकी प्रक्रियाओं और पुरस्कारों के प्रवर्तन को विनियमित करने के लिए और आम तौर पर विवादों को निपटाने के लिए और प्रतिभूतियों में व्यापार और व्यापार के संचालन में उपयोग, रीति या शिष्टाचार के सभी प्रश्नों को तय करने के लिए।

७. भंडारण के प्रयोजनों के लिए स्वयं या किसी अन्य कंपनी या व्यक्ति या सरकार के विभाग या प्राधिकरण के साथ या उसके माध्यम से कॉर्पोरेट बॉन्ड के संरक्षक या डिपॉजिटरी के रूप में कार्य करने के लिए, किसी भी रूप में नि: शुल्क या अन्यथा, किराए पर देना और अन्यथा निपटान करना तिजोरियाँ, स्ट्रांग रूम और पैसे के लिए अन्य पात्र, प्रतिभूतियाँ और दस्तावेज़ या सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ।

८. कंपनी के उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए क्लियरिंग हाउस की स्थापना और रखरखाव या नियुक्त करना या नियुक्त करना या स्टॉक होल्डिंग और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, डिपॉजिटरी क्लियरिंग हाउस या डिवीजन को बनाए रखना और उसके कामकाज और प्रशासन को नियंत्रित और विनियमित करना।

९. सरकार के साथ किसी भी व्यवस्था में प्रवेश करने के लिए जो वांछनीय लग सकता है और ऐसी सरकार से किसी भी शक्ति, अधिकार, लाइसेंस, विशेषाधिकार या रियायतें प्राप्त करने के लिए जो ज्ञापन में निर्धारित उद्देश्यों के लिए आवश्यक और वांछनीय समझा जा सकता है।

१०. किसी भी डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक या अन्य प्रतिभूतियों या दायित्वों को बनाने या हासिल करने वाले किसी भी कार्य के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए और किसी भी अन्य ट्रस्टों को लेने और निष्पादित करने के लिए और निष्पादक, प्रशासक, रिसीवर, संरक्षक और ट्रस्ट निगम के कार्यालय का कार्य या शक्तियों का प्रयोग करना।

११. किसी भी राज्य या प्राधिकरण केंद्रीय राज्य नगरपालिका स्थानीय या अन्यथा के साथ व्यवस्था करने के लिए जो कंपनी के उद्देश्यों या उनमें से किसी के लिए अनुकूल लग सकता है और ऐसी किसी भी सरकार या प्राधिकरण से कोई रियायत अनुदान या अधिकार या विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए जो भी कंपनी उचित समझे या जो कंपनी को खाते में बदलने और काम का पालन करने, विकसित करने, करने, व्यायाम करने में सक्षम लग सकता है और ऐसी किसी भी व्यवस्था, रियायत, अनुदान, फरमान, अधिकार या विशेषाधिकार को ध्यान में रखें।

१२. व्यापार के संबंध में सांख्यिकीय या अन्य जानकारी प्राप्त करने, एकत्र करने,

संरक्षित करने, प्रसारित करने या बेचने के लिए, पुस्तकालय को बनाए रखने के लिए और किसी भी समाचार पत्र, पत्रिका, पत्रिका, पुस्तिका, आधिकारिक वर्ष की पुस्तक को दैनिक या मुद्रित करने, प्रकाशित करने, चलाने, प्रबंधित करने और ले जाने के लिए या निगम के उद्देश्य के संबंध में या आगे बढ़ाने के संबंध में अन्य आवधिक कोटेशन सूचियां या अन्य कार्य।

१३.व्यापार, बैंकिंग, वाणिज्य, वित्त या कंपनी प्रशासन में लगे या संलग्न होने वाले या किसी अन्य प्रकार के स्टॉक, शेयरों और प्रतिभूतियों में या उसके संबंध में और उसके संबंध में लगे व्यक्तियों के तकनीकी और व्यावसायिक ज्ञान को सुधारने और बढ़ाने के लिए व्याख्यान देने और कक्षाओं के आयोजन के लिए प्रदान करना और परीक्षा द्वारा या अन्यथा ऐसे व्यक्तियों की क्षमता का परीक्षण करना और प्रमाणपत्र और डिप्लोमा प्रदान करना और छात्रवृत्तियां, अनुदान और अन्य उपकार स्थापित करना और स्थापित करना और ऐसी कोई तकनीकी या शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना या बनाना और इसे चलाना और प्रशासित करना।

१४.सदस्य बनने के लिए सदस्यता लेना और किसी अन्य एसोसिएशन के साथ सहयोग करना, चाहे निगमित हो या नहीं, जिसका उद्देश्य निगम द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए हितों को बढ़ावा देना या सामान्य वाणिज्यिक और व्यापारिक हितों को बढ़ावा देना है और ऐसे एसोसिएशन से प्राप्त करना और संचार करना सूचना जो निगम के उद्देश्यों को आगे बढ़ा सकती है या व्यापार या उसमें किसी हित की सुरक्षा के उपायों को बढ़ावा दे सकती है।

१५.एक सलाहकार या अनुसंधान प्रभाग के प्रबंधन में भाग लेना या स्थापित करना और भारत या विदेश में प्रतिभूतियों या समाशोधन और निपटान की स्थापना और आयोजन के लिए सलाहकार और सलाहकार के रूप में कार्य करना और

प्रतिभूतियों और उनके विपणन के लिए सलाहकार के रूप में कार्य करना। और निगम के व्यवसाय की घटनाओं और विशेषताओं पर सलाह देना और और कंपनी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए भारत या विदेश में किसी भी एक्सचेंज के साथ सदस्यता या सहयोग सिद्धांत पर एक सहयोग में प्रवेश करना।

१६.किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों, कंपनी या निगम के साथ भागीदारी, सहयोग या हित के संघ की प्रकृति में किसी भी साझेदारी या व्यवस्था में प्रवेश करने के लिए या किसी भी व्यवसाय को चलाने या संचालित करने में रुचि रखने वाले या संलग्न होने के बारे में या उद्यम जिन्हें यह कंपनी चलाने या संचालित करने के लिए अधिकृत है या जिनसे कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ प्राप्त करेगी या प्राप्त कर सकती है।

१७.व्यवसाय, सद्भावना, ट्रेडमार्क, पेटेंट, संपत्ति, संपत्ति और किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों, फर्म, निकाय कॉर्पोरेट या निगम के किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए अधिकृत है, जिसे वह चलाने के लिए अधिकृत है।

१८.किसी भी बैंक में बैंकिंग खाते खोलना और ऐसे खातों में भुगतान करना और उनसे पैसा निकालना।

१९.कंपनी के फंड से सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों का भुगतान करने के लिए जो कंपनी कंपनी के प्रचार, गठन, स्थापना और पंजीकरण और/या अपनी पूंजी के मुद्दे के संबंध में कानूनी रूप से भुगतान कर सकती है या जिस पर कंपनी विचार करेगी। मुद्रण और स्थिर, पेशेवर, वकील या किसी अन्य विशेषज्ञ की फीस और खर्च सहित प्रारंभिक हो।

२०.कंपनी की ओर से प्रतिभूतियों को रखने और कंपनी के हितों की रक्षा के लिए ट्रस्टी या ट्रस्टी (चाहे व्यक्ति या निगम) की नियुक्ति करना।

२१.किसी भी कंपनी या कंपनियों या संघों के साथ समामेलन करने के लिए जिनके उद्देश्य पूरी तरह से या आंशिक रूप से इस कंपनी के समान हैं।

२२.किसी भी उपक्रम या किसी संपत्ति को प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी भी उपक्रम या किसी भी संपत्ति को प्राप्त करने के उद्देश्य से कंपनियों को बनाने, बढ़ावा देने, सब्सिडी देने या संगठित करने, बनाने, बनाने, बढ़ावा देने, सब्सिडी देने और सहायता करने या सहायता करने में सहायता या सहायता करना,चाहे ऐसे उपक्रम या कंपनी या किसी अन्य कंपनी की देयता के साथ या बिना, इसके उद्देश्यों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आगे बढ़ाने के लिए और ऐसी किसी कंपनी में या उसके शेयरों, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियों को लेने या अन्यथा प्राप्त करने और निपटाने के लिए और ऐसी किसी भी कंपनी को सब्सिडी देने या अन्यथा सहायता या प्रबंधन या स्वामित्व करने के लिए।

२३.कंपनी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत या दुनिया के किसी अन्य हिस्से में या तो प्रिंसिपल, एजेंट, ट्रस्टी, ठेकेदार या अन्यथा अकेले या दूसरों के साथ और या तो एजेंटों, ठेकेदारों, ट्रस्टियों या अन्यथा के माध्यम से करना।

२४.अपने व्यवसाय के लिए और अपने ग्राहकों को सुरक्षित करने के लिए भारत में या उसके बाहर कार्यालयों, शाखाओं और एजेंसियों का स्वामित्व, स्थापना या रखरखाव करना।

२५.अपनी सभी या किसी भी कॉर्पोरेट शक्तियों, अधिकारों और विशेषाधिकारों का प्रयोग करने के लिए और भारत संघ में इसकी सभी या किसी भी शाखा में

और किसी भी या सभी राज्यों और क्षेत्रों में और किसी भी या सभी विदेशी देशों में अपना व्यवसाय संचालित करने के लिए और इस उद्देश्य के लिए और एजेंसियों के रूप में सुविधाजनक हो सकता है।

२६. किसी भी सामान्य या उपयोगी वस्तु या निधि या संस्था के लिए सदस्यता लेना, योगदान करना, दान या अनुदान देना या धन की गारंटी देना और आर्थिक रूप से या अन्यथा, किसी भी संघ, निकाय या आंदोलन की सहायता करना।

२७. किसी भी फंड (चाहे सेटलमेंट फंड या इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड या कोई अन्य फंड) की स्थापना और समर्थन या सहायता के लिए ट्रस्ट और उपयुक्तता की गणना कंपनी और पूंजी और वित्तीय बाजारों के उद्देश्यों और उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और आगे बढ़ाने के लिए की जाती है।

२८. कंपनी के फंड या अन्य चल संपत्ति से उन उपहारों और एसोसिएशन के लेखों और नियमों, उप-नियमों और विनियमों में निर्दिष्ट किसी भी उद्देश्य के लिए भुगतान या संवितरण करने के लिए और ड्रा, स्वीकार, समर्थन करने के लिए, छूट, वारंट, डिबेंचर या अन्य परक्राम्य या हस्तांतरणीय दस्तावेज निष्पादित करें।

२९. पूंजी और सुरक्षा बाजारों की संभावना, पूछताछ, जांच, अन्वेषण और परीक्षण की दृष्टि से पूंजी के रोजगार के लिए उद्घाटन और अवसरों की तलाश करना और सुरक्षित करना और कंपनी के व्यवसाय के लिए अभियान, कमीशन और अन्य एजेंटों को भेजना और नियोजित करना।

३०. उधार लेना, किसी भी रूप में ऋण लेना, जमा प्राप्त करना, ऋणग्रस्तता पैदा

करना, अनुदान या अग्रिम (चाहे ब्याज मुक्त हो या नहीं) इक्विटी ऋण प्राप्त करना या कंपनी के उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए आवश्यक किसी भी धन को ऐसी शर्तों पर और इस तरह से जुटाना और सुरक्षा के साथ या बिना समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है और विशेष रूप से डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड या अन्य प्रतिभूतियों के निर्गम द्वारा, हमेशा प्रदान किया जाता है और यह एतद्द्वारा स्पष्ट रूप से ऐसे किसी भी उधार लेने या धन जुटाने की एक मूल और मौलिक शर्त के रूप में घोषित किया जाता है, कि सभी मामलों में और सभी परिस्थितियों में भुगतान का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति चाहे वह मूलधन हो या ब्याज या अन्यथा जो भी हो, इस प्रकार उधार या जुटाए गए धन के संबंध में केवल कंपनी की निधियों, संपत्तियों और अन्य परिसंपत्तियों में से ऐसे भुगतान का दावा करने का हकदार होगा, जिसे अकेले जवाब देने और सभी दावों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी माना जाएगा और इस प्रकार उधार लिए गए या जुटाए गए धन के तहत और उसके संबंध में जो कुछ भी मांग करता है, न कि सभी या किसी एक या अधिक निदेशक मंडल के सदस्यों या कंपनी के सदस्यों, उनके या उनके उत्तराधिकारियों की व्यक्तिगत निधि, संपत्ति और अन्य संपत्ति, निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारी और समनुदेशिती जो किसी भी तरह से किसी भी व्यक्तिगत दायित्व के लिए नहीं माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे या खुद को या खुद को व्यक्तिगत रूप से किसी भी दावे या मांगों के अधीन या उत्तरदायी बनाते हैं या इस तरह उधार लिए गए धन के तहत और उसके संबंध में आरोपित किया जाता है। उठाया और धन की स्थिति में, कंपनी की संपत्ति और अन्य संपत्ति उपरोक्त के रूप में भुगतान का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों के दावों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, ऐसे किसी भी व्यक्ति का अधिकार सीमित होगा और वह इस तरह के फंड के अपने हिस्से या हिस्से से अधिक कुछ भी दावा करने का हकदार नहीं होगा, कंपनी की संपत्ति और अन्य संपत्तियां उन नियमों और शर्तों के अनुसार हैं जिन पर पैसा उधार लिया गया है या उठाया गया है;

३१.कंपनी के धन का निवेश, उधार या अग्रिम ऐसी सुरक्षा में या उस पर और ब्याज के साथ या बिना ब्याज के साथ या ऐसे अन्य निवेशों में जो समय-समय पर कंपनी द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

३२.कंपनी के सभी या किसी भी उद्देश्य के लिए, निगम के बिलों को आकर्षित करने, बनाने, स्वीकार करने, समर्थन करने, छूट देने, निष्पादित करने, जारी करने, बातचीत करने और बेचने के लिए, वचन पत्र, चेक, लदान बिल, वारंट, डिबेंचर और अन्य परक्राम्य लिखत सुरक्षा के बिना और साथ ही वचन पत्र तैयार करना और उसका समर्थन करना और उस पर बातचीत करना और साथ ही छूट या अन्यथा सुरक्षा के साथ या बिना अग्रिम लेना और प्राप्त करना, ऐसे नियमों और शर्तों पर जो कंपनी ठीक समझे और साथ ही सामग्री या अन्य सामान या किसी अन्य चीज़ पर ऐसे नियमों और प्रतिभूतियों पर किसी भी राशि या रकम को अग्रिम करने के लिए जैसा कि कंपनी समीचीन समझ सकती है।

३३.जमा पर या अन्यथा ऐसे नियमों और शर्तों पर धन प्राप्त करना और दूसरों के ऋणों और अनुबंधों के संबंध में गारंटी और क्षतिपूर्ति देना।

३४.किसी भी ऋण या दायित्व या बाध्यकारी को इस तरह से सुरक्षित या निर्वहन करने के लिए जैसा कि उचित समझा जा सकता है और विशेष रूप से उपक्रम और सभी या किसी या संपत्ति और संपत्ति (वर्तमान और भविष्य) और कंपनी की अवांछित पूंजी पर बंधक और शुल्क द्वारा या ऐसी शर्तों पर सृजन और निर्गम द्वारा, जिन्हें समीचीन समझा जा सकता है, डिबेंचर, डिबेंचर - स्टॉक, या किसी भी विवरण की अन्य प्रतिभूतियों या पूर्ण या आंशिक रूप से भुगतान के रूप में जमा किए गए शेयरों के मुद्दे द्वारा;

३५.किसी भी व्यक्ति या कंपनी को दी गई सेवाओं के लिए या डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक धारकों के लिए ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए, या कंपनी की पूंजी या डिबेंचर में किसी भी शेयर को रखने या रखने की गारंटी देने के लिए पारिश्रमिक देने के लिए,कंपनी के डिबेंचर स्टॉक या अन्य प्रतिभूतियों या कंपनी के गठन या प्रचार या उसके व्यवसाय के संचालन के बारे में या ऐसे डिबेंचर या डिबेंचर स्टॉक और ब्याज के भुगतान की गारंटी के लिए।

३६.किसी भी तरह से कंपनी की किसी भी संपत्ति, उपक्रम, अनुबंध, जोखिम या दायित्वों का बीमा करना।

३७.गारंटी देने के लिए, और हर तरह की गारंटी और काउंटर गारंटी व्यवसाय और विशेष रूप से डिबेंचर, बांड, डिबेंचर-स्टॉक, बंधक, शुल्क, अनुबंध के तहत सुरक्षित या देय किसी भी मूल धन, ब्याज या अन्य धन का भुगतान करने के लिए। दायित्वों, प्रतिभूतियों और लिखत और लाभांश का भुगतान और पूंजीगत स्टॉक, शेयरों, प्रतिभूतियों और सभी प्रकार और विवरणों के उपकरणों का पुनर्भुगतान।

३८.किसी अन्य कंपनी के शेयरों, शेयरों और प्रतिभूतियों को सशर्त या बिना शर्त के लिए लेना और सदस्यता लेना;

३९.डेरिवेटिव जारी करना या ऐसे किसी भी शेयर, स्टॉक, डिबेंचर, डिबेंचर-स्टॉक, बॉन्ड, दायित्वों या प्रतिभूतियों को मूल सदस्यता, निविदा, खरीद, निगमन या नीलामी या अन्यथा प्राप्त करना और बेचना और इसके लिए या तो सशर्त या अन्यथा सदस्यता लेना, और इसकी सदस्यता की गारंटी देने और सभी अधिकारों का प्रयोग करने और लागू करने के लिए और कंपनी के उद्देश्यों को आगे

बढ़ाने के लिए उसके स्वामित्व द्वारा प्रदत्त शक्तियां या घटना।

४०.कंपनी या उसके सदस्यों द्वारा उपयोग के लिए और कंपनी के किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयुक्त भवन (भवनों) या परिसर का निर्माण, निर्माण, विस्तार और रखरखाव करने के लिए और बदलने, जोड़ने, संशोधित करने, बदलने या हटाने या बदलने या प्रतिस्थापित करने के लिए, या ऐसे किसी भवन या भवन में स्थान बढ़ाना।

४१.खरीद, पट्टे पर या किराए की खरीद या आपूर्तिकर्ताओं के क्रेडिट पर या अन्यथा प्राप्त करने के लिए और किसी भी चल या अचल संपत्ति और कंपनी के उद्देश्यों के लिए आवश्यक या सुविधाजनक किसी भी अधिकार या विशेषाधिकार विकसित करने के लिए और विशेष रूप से किसी भी भूमि, भवन, सुखभोग या सुरक्षित जमा तिजोरी या निक्षेपागार या अभिरक्षा सुविधाएं।

४२.बेचने, गिरवी रखने, विनिमय करने, पट्टे पर देने, पट्टे पर देने या उप-पट्टे पर देने, लाइसेंस, सुगमता और अन्य अधिकार देने, सुधार करने, प्रबंधित करने, विकसित करने और खाते में बदलने और किसी भी अन्य तरीके से उपक्रम, निवेश से निपटने या निपटाने के लिए, संपत्ति, संपत्ति, अधिकार और कंपनी के प्रभाव या उसके किसी भी हिस्से को ऐसे विचारों के लिए जो उचित समझा जा सकता है, जिसमें किसी भी अन्य कंपनी के स्टॉक, शेयर या प्रतिभूतियां शामिल हैं, चाहे आंशिक रूप से या पूरी तरह से भुगतान किया गया हो।

४३.किसी भी पेटेंट, ब्रेवेट्स, आविष्कारों, लाइसेंसों, रियायतों, अधिकारों, विशेषाधिकारों के लिए आवेदन करने, खरीदने या अन्यथा प्राप्त करने के लिए, आविष्कार के रूप में किसी भी गुप्त या अन्य जानकारी का उपयोग करने के

लिए कोई विशेष या सीमित अधिकार प्रदान करना जो उपयोग करने में सक्षम प्रतीत हो सकता है कंपनी के किसी भी उद्देश्य या कंपनी के लिए फायदेमंद या उपयोगी होने की संभावना हो सकती है और लाइसेंस का उपयोग, प्रयोग, विकास या अनुदान करने के लिए, संपत्ति के अधिकार या इस तरह अर्जित की गई जानकारी के संबंध में विशेषाधिकार या अन्यथा खाते में बदलना और उन सभी आविष्कारों, पेटेंटों और अधिकारों के प्रयोग करने में सहायता, प्रोत्साहन और पैसा खर्च करना, जिनकी कंपनी को आवश्यकता हो सकती है या अधिग्रहण करने का प्रस्ताव हो सकता है।

४४.वकीलों और एजेंटों को नियुक्त करना चाहे कमीशन पर हो या अन्यथा और भारत और अन्य जगहों पर कंपनी की एजेंसियों और उप-एजेंसियों का गठन करना,

४५.कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन समापन की स्थिति में कंपनी की किसी भी संपत्ति को सदस्यों के बीच वितरित करना।

४६.कंपनी के किसी भी कर्मचारी या किसी उम्मीदवार के हित में या कंपनी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए भारत या विदेश में प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण देना या भुगतान करना।

४७.कंपनी के कर्मचारियों या पूर्व कर्मचारियों और पत्नियों और परिवारों या आश्रितों या ऐसे व्यक्ति के कनेक्शन के लिए घरों या आवासों के निर्माण या योगदान के लिए या धन पेंशन, भत्ते, बोनस या अन्य अनुदानों के कल्याण के लिए प्रदान करना भुगतान या समय-समय पर सृजित करके, भविष्य निधि और अन्य संघों के संस्थानों के फंड या ट्रस्टियों की सदस्यता लेना या योगदान देना और अन्य संघ संस्थाएं निधि या न्यासी और निर्देश और मनोरंजन

अस्पतालों और औषधालयों की चिकित्सा और अन्य उपस्थिति और अन्य सहायता प्रदान करने या सदस्यता लेने या योगदान करने के लिए कंपनी को उचित समझती हैं।

४८.कंपनी के लिए और कंपनी के हित में या किसी भी नुकसान या क्षति या दुर्भाग्य के लिए किए गए या किए जाने के आदेश के संबंध में कार्यवाही, लागत, नुकसान, दावों और मांगों के लिए कंपनी के अधिकारियों, निदेशकों, प्रमोटरों और कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति करना। उनके कार्यालयों के कर्तव्यों के निष्पादन में या उसके संबंध में होता है।

४९.ऐसे अन्य सभी काम करना जो उपरोक्त वस्तुओं या उनमें से किसी के लिए आकस्मिक या अनुकूल हों।

IV सदस्यों का दायित्व सीमित है।

V * कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी INR 1,50,00,00,000 (केवल एक पचास करोड़ रुपये) होगी, जिसे INR 10/- (केवल दस रुपये) के 15,00,00,000 (पंद्रह करोड़) इक्विटी शेयरों में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक।

*कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को शेयरधारकों द्वारा उनकी असाधारण आम बैठक में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से INR 15,00,000 (पंद्रह लाख रुपये केवल) से बढ़ाकर INR 1,50,00,00,000 (केवल एक पचास करोड़ रुपये) कर दिया गया था। शुक्रवार, 09 जुलाई, 2021 को आयोजित किया गया।

हम, कई व्यक्ति जिनके नाम, पते, विवरण और व्यवसायों को यहां सब्सक्राइब किया गया है, इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अनुसरण में एक कंपनी में गठित होने के इच्छुक हैं और हम क्रमशः कंपनी की पूंजी में शेयरों की संख्या के विपरीत सेट करने के लिए सहमत हैं। हमारे संबंधित नाम।

सीरियल क्रमांक	**अभिदाताओं का नाम, पता, विवरण और व्यवसाय**	**प्रत्येक अभिदाता द्वारा लिए गए इक्विटी शेयरों की संख्या**	**सदस्यता के हस्ताक्षर**	**साक्षियों के हस्ताक्षर, नाम, पता, विवरण और व्यवसाय**
1	नीलेश धीरजलाल शाह, 501, 5वीं मंजिल, राधिका सीएचएस, गुलमोहर रोड, प्लॉट नंबर 55, जेवीपीडी स्कीम, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई 400 049,	१	Sd/-	मैं उस ग्राहक का साक्षी हूं जिसने 09 अप्रैल, 2021 को अपराह्न 1.00 बजे मेरी उपस्थिति में सदस्यता ली और हस्ताक्षर किए। इसके अलावा मैंने उसकी पहचान के लिए उसकी पहचान के विवरण की

	सब्सक्राइबर सह निदेशक, व्यवसाय-सेवा/ सर्विस			पहचान की है और उसके पहचान विवरण से खुद को संतुष्ट किया है जैसा कि इसमें दर्ज किया गया है:
2	सौरभ मनोज नानावटी, बी 3/4, 535, मेघदूत, लिंकिंग रोड, खार टेलीफोन एक्सचेंज के पास, खार (पश्चिम), मुंबई 400 052 सब्सक्राइबर सह निदेशक, व्यवसाय-इनवेस्को एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेडके मुख्य कार्यकारी अधिकारी।	१	Sd/-	हस्ताक्षर: Sd/- नाम : प्रदीप कुमार पुरवार पिता का नाम : गोपाल कृष्ण पुरवार पता: डी-1/1202, मेपल, नीलकंठ ग्रीन्स, हैप्पी वैली के पीछे, मनपाड़ा, ठाणे पश्चिम - 400 610, महाराष्ट्र, भारत
3	अथमनाथन बालासुब्रमण्यम, बंगला नंबर 18, लक्ष्मी निवास, अतूर पार्क सीएचएसएल, सायन ट्रॉम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई 400 071 सब्सक्राइबर सह निदेशक,	१	Sd/-	व्यवसाय: पेशेवर

	व्यवसाय- सर्विस			
4	विनय मुरलीधर टोनसे, सी/ 11, किनेलन टॉवर, 100ए नेपियन सी रोड, मुंबई, महाराष्ट्र 400 006, सब्सक्राइबर सह निदेशक, व्यवसाय- सर्विस	१	Sd/-	
5	राधिका गुप्ता, 3, एलिसियम, 67 डी मोंटे पार्क रोड, बांद्रा जिमखाना के पास, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई 400050 सब्सक्राइबर, व्यवसाय- सर्विस	१	Sd/-	मैं उस ग्राहक का साक्षी हूं जिसने 09 अप्रैल, 2021 को अपराह्न 1.00 बजे मेरी उपस्थिति में सदस्यता ली और हस्ताक्षर किए। इसके अलावा मैंने उनकी पहचान के लिए उनके पहचान विवरण की पहचान की है और उनके पहचान

6	गोपालकृष्णन प्रदीपकुमार, 203, मेफेयर गार्डन, आजाद लेन, शॉपर्स स्टॉप के पीछे, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई, 400 058, सब्सक्राइबर, व्यवसाय-पेशेवर (यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ)	१	Sd/-	विवरण से खुद को संतुष्ट किया है जैसा कि इसमें दर्ज किया गया है: हस्ताक्षर: Sd/- नाम : प्रदीप कुमार पुरवार पिता का नाम : गोपाल कृष्ण पुरवार पता: डी-1/1202, मेपल, नीलकंठ ग्रीन्स, हैप्पी वैली के पीछे, मनपाड़ा, ठाणे पश्चिम - 400 610, महाराष्ट्र, भारत व्यवसाय: पेशेवर
7	वेंकटेश श्रीनिवासन, ५01 , हंसराज सीएचएस, यूनियन पार्क सायन ट्रॉम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई-400071 सब्सक्राइबर, व्यवसाय-सेवा	१	Sd/-	
	कुल	७		

दिनांक: 09/04/2021

स्थान: मुंबई

"अस्वीकरण: - इस मसौदा एसोसिएशन का ज्ञापन का अंग्रेजी भाषा संस्करण सभी तरह से नियंत्रित होगा और हिंदी भाषा संस्करण के साथ किसी भी विसंगति के मामले में मान्य होगा।"